No. A-12025/11/2005-Adm.I
GOVERNMENT OF INDIA
PLANNING COMMISSION

Yojana Bhavan, Sansad Marg,
New Delhi, the Dec., 2005.

To

All Central Government Departments / State Governments/ UT Administrations/ Universities

SUB:- Recruitment to some posts of Joint Adviser in the scale of pay of Rs.14300-400-18300 in the Planning Commission on Promotion/ Deputation (including short-term contract) basis.

Sir,

I am directed to say that the Planning Commission requires the services of suitable Officers for appointment to the posts of (i) Joint Adviser (Industrial Economics/ Management); (ii) Joint Adviser (Scientific Research); (iii) Joint Adviser (Coal); (iv) Joint Adviser (Industries & Infrastructure Planning) and (v) Joint Adviser (Water Resources) **[one each]** to be filled by composite method i.e. "Promotion/ Deputation (including short-term contract)" basis. The selection for each post will be made by the UPSC.

2. Officers working under the Central / State Governments / UT Administrations/ Universities/ Recognised Research Institutions/ Public Undertakings as well as the Departmental Deputy Advisers of the Planning Commission who fulfill the conditions specified for each post in the enclosed Annexure would be considered together. If Departmental Deputy Adviser of the Planning Commission is recommended by the UPSC for appointment to any post, it will be treated as having been filled by Promotion and in case an outsider candidate is recommended by the UPSC, the post will be offered on Deputation basis for a specific period not exceeding four years.

3. Scale of pay, eligibility conditions i.e. qualifications and experience, period of deputation and duties etc. for each post are indicated in the **enclosed Annexure**.

4. Ministries/ Departments of the Central Govt./ State Governments/ UT Administrations are requested to bring these vacancies to the notice of the Officers working under their charge as well as those working in Public Undertakings and Recognised Research Institutions under their administrative control.

5. Applications/Curriculum Vitae (in duplicate) in the **enclosed proforma** alongwith the following documents in respect of eligible candidates who can be spared for taking up the assignment within one month from the date of intimation about selection may please be forwarded to the undersigned, separately for each post duly signed by the candidate and countersigned by the Head of Office or an officer authorized to sign on his behalf:

(i) Cadre Clearance/Specific No Objection.
(ii) Up-to-date Confidential Report Dossier of the candidate concerned or photocopies of the Annual Confidential Reports of the candidate for the last five years duly attested by an Officer not below the rank of Under Secretary to the Govt. of India;

-/-

(iii) Integrity Certificate (in the **enclosed format**) to be signed by an Officer not below the rank of Deputy Secretary to the Govt. of India

(iv) Vigilance Clearance (in the **enclosed format**) indicating that no disciplinary proceedings or criminal proceedings are either pending or contemplated against the Officer concerned; and

(v) List of major/ minor penalties, if any, imposed on the candidate during the last 10 years OR No Penalty Certificate (in the **enclosed format**), as the case may be.

It may please be noted that it would not be possible to entertain the application if it is not accompanied with the above documents. It is also informed that the curriculum vitae (CV) duly supported by documents will be assessed by the Selection Committee for appointment to posts on deputation basis.

6. Applications of only those candidates who are clear from vigilance angle need be forwarded. The vacancy is also being published in the Employment News shortly. The closing date for receipt of applications will be 60 days from the date of publication of the advertisement in the Employment news.

7. Applicants should ensure that the application is complete in all respects and is in the **prescribed proforma**. No column of the proforma should be left blank. Wherever information is "Not Applicable" or "Nil", it may please be so stated. **Only complete applications received through proper channel alongwith all the documents mentioned in para 5 above on or before the specified closing date shall be considered. Applications received after the closing date or those which are not in the prescribed proforma or those which are incomplete or advance applications will not be considered.**

8. The details of these vacancies are also available on Planning Commission website, i.e. "**http://www.planningcommission.nic.in**" under the link **"circulars"**.

Yours faithfully,

(K.K.CHHABRA)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele. 23096531

Copy forwarded to:-

1. Adviser (Infrastructure)/Adviser (Energy) / Adviser (WR)/ Adviser (Industries/ VSE), Planning Commission.
2. All Deputy Advisers of the Planning Commission who have completed/ will complete 5 years regular service in the grade as on the date of eligibility specified for each post in the Annexure and possess the essential qualifications and experience for specific post may complete the proforma and send it (in duplicate) to the undersigned.
3. Joint Secretary (SP & Administration), Planning Commission.
4. Notice Boards.

(K.K.CHHABRA)
Under Secretary to the Govt. of India

ANNEXURE

Details of eligibility conditions for the post of (i) Joint Adviser (Industrial Economics/ Management); (ii) Joint Adviser (Scientific Research); (iii) Joint Adviser (Coal); (iv) Joint Adviser (Industries & Infrastructure Planning) and (v) Joint Adviser (Water Resources) in the Planning Commission **[one each]** to be filled by Promotion/ Deputation (including short-term contract) basis.

Details of these vacancies are :-

1. SCALE OF PAY : Rs.14300-400-18300 [For each post]

2. DUTIES ATTACHED TO THE POST:

[I] Joint Adviser (Industrial Economics/ Management)

- The incumbent will be responsible for general issues of economic and industrial policies and programmes and coordination work in the Industry Division.
- Examination, formulation and review of the policies and programmes covering general issues, prices, fiscal and financial levies, export, import and comparative advantages thereto including other aspects related to international trade.
- To undertake studies on various aspects of industrial economics and management.
- Formulation and examination of proposals received from various Ministries/ State Governments including aspects covering general economic and industrial issues.
- Participation in apex Government agencies dealing with industrial programmes, viz., Development Councils, Licensing Committees, Project Approval Board, Foreign Investment Board, Capital Goods Committee, NRI Committee, etc.,
- Examination of Notes for Cabinet/ Cabinet Committees/ Group of Ministers/ Committees of Secretaries, etc.,
- Maintaining coordination with various Central Ministries/ Departments/ State Governments, etc., regarding matters, policies, programmes and general issues concerning economic development.
- Examination and appraisal of proposals received from various Ministries/ States/ Industry Associations/ Individuals, etc., concerning economic development.
- Assist Senior Officers/ Commission in the formulation of Annual, Five-Year and Long-Term Perspective Plans including policies thereto and such other work as may be assigned from time-to-time, e.g., in connection with Parliament and its Committees, VIP references, etc.,
- To supervise and guide Deputy Advisers and other research staff in the Division.

[II] Joint Adviser (Scientific Research)

- Examination and appraisal of Annual, Five-Year Plan programmes and allocation of Department of Science and Technology, Scientific and Industrial Research and CSIR, Bio-Technology, Ocean Development, Atomic Energy (R&D), Space, Forensic Science and Police Wireless, Ministry of Environment, Forests and Wild Life including Wasteland Development.
- Science and Technology and Environment programmes of all State Governments and Union Territories.

-/-

* Science and Technology component of major socio-economic Ministries/ Departments.
* Coordination of work relating to foreign technical assistance programmes on behalf of the Planning Commission.
* Review of progress of Science and Technology efforts initiating recommendatory measures.
* Follow up studies on major projects/ schemes/ areas selected for continuous appraisal.
* Participation in High Level Expert Committee meetings.
* Examination of Cabinet papers and other Secret matters.
* Preparation of various analytical and scientific papers on various subjects pertaining to Science and Technology and related matters.
* Guidance to subordinate officers on the above.
* Acquaintance with Government policies in Science and Technology.

[III] Joint Adviser (Coal)

* Planning and Programming for the development of Coal and Lignite Sector and then integration with national economic plans through the operational mechanism of Annual and Five-Year Plans.
* Integration of coal and lignite development plans with other sectoral development by functioning in close cooperation with the concerned Ministries, State Governments, Public Sector Undertakings, Institutions, Agencies, etc.,
* Representing Planning Commission in Meetings, Committees, Inter-Ministerial Groups, etc., for feedback to Planning Commission for decision making, examining various papers/ notes/ reports., etc., received in the Planning Commisison relating to the Sector.
* Appraisal of projects/ feasibility reports and monitoring of the performance of the Coal Sector as integrated to other related sectoral developments developing and coordinating studies aimed at resolving the problems at various higher levels and preparing specialized technical papers.
* Supervision of the work of the Coal Unit
* Such other duties as may be assigned by the Planning Commission.

[IV] Joint Adviser (Industries & Infrastructure Planning)

* Preparation of the medium and long term plans for the development of industries and minerals and for infrastructure, viz., energy (coal, petroleum and power) and transports.
* Participation in the working groups and committees constituted in connection with the formulation of the Five-Year Plans.

* Preparation of Material Balances to estimate demand in physical units for a number of important commodities taking into consideration the growth rates of consuming sectors as emerging from the input-output model.
* Continuous updating of physical consumption norms (inter-industry linkages) on the basis of latest technological developments required for preparation of the material balances.
* Studies to forecast demand for consumer goods such as textiles, automobiles tires, paper and sugar and analysis of industrial projects from the demand angle to assist investment decisions thereon.
* Projection of capacities to be created in the key industries on the basis of targets of demand, output and capacity utilisation.
* Analysis of the past trends in production of various manufacturing industries.
* Study of the trends in investment, output, capital-output ratios, etc., in the private corporate and non-corporate manufacturing sector.'
* Studies relating to structural changes within an industrial sector, industrial policy, licensing and concentration.
* Organizing the collection of data on annual production of a large number of industries (more than 500) to update the input-output table.
* Studies on environmental planning and control of pollution.
* Productions, imports and exports of industrial commodities and their impact on balance of payments.
* Studies on the long-term strategy on the availability and use of renewable and non-renewable resources.

[V] Joint Adviser (Water Resources)

* Examination and review of Annual and Five-Year Plan proposals of the States for Water Resources, Irrigation, Command Area Development and Flood Control.
* Review of major and medium irrigation projects and proposals of the Ministry of Water Resources and its subordinate offices.
* Participation in (i) Annual Plan and Five-Year Plan discussions, (ii) Discussion with Central Ministries and State Ministries regarding review of drought programmes and major and medium irrigation projects and preparation of reports thereof.
* Participation in various Committees set up by the Planning Commission, Ministry of Water Resources, Central Water Commission and other Committees drawn for progress of major and minor irrigation projects.
* Assist Adviser (Water Resources) on all matters pertaining to development of Irrigation, Flood Control and Command Area Development programmes.

3. ELIGIBILITY :

[**COMMON FOR ALL POSTS**]

FOR DEPUTATION (INCLUDING SHORT-TERM CONTRACT):

Officers holding analogous posts on regular basis; or with 5 years' regular service in posts in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 or equivalent under the Central/ State Governments/ UT Administrations/ Universities/ Recognised Research Institutions/ Public Undertakings/ Autonomous Organisations and possessing the qualifications/ experience prescribed for each post, as indicated against item No. 6 below.

FOR PROMOTION:

Deputy Advisers of the Planning Commission with 5 years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and possessing the qualifications and experience prescribed for each post, as indicated against item No. 6 below.

4. AGE LIMIT :

The maximum age limit for appointment by Deputation (including Short-Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the crucial date for determining eligibility as indicated against item No. 5 hereunder.

5. CRUCIAL DATE FOR DETERMINING ELIGIBILITY :

(a) For the post of Joint Adviser (Industrial Economics/ Management), it will be the closing date for receipt of applications as per this circular.

(b) For the post of Joint Adviser (Water Resources), it will be 01-05-2006.

(c) For the post of Joint Adviser (Coal), it will be 08-09-2006.

(d) For the posts of Joint Adviser (Scientific Research) and Joint Adviser (Industries and Infrastructure Planning), it will be 01-09-2006.

6. QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE:

[**Separate for each post]**

[I] Joint Adviser (Industrial Economics/ Management)

ESSENTIAL:

(i) Master's Degree in Science/ Economics/ Commerce/ Mathematics/ Statistics/ Operations Research/ Business Administration or Degree in Engineering of a recognised University or equivalent.

(ii) 12 years’ experience in Industrial Economics/ Management covering techno-economic appraisal of large projects, their techno-economic analysis covering demand, supply, pricing growth, etc., monitoring and evaluation of such projects, developing system models for the same.

-/-

DESIRABLE:

(i) Doctorate degree in the relevant branch of Industrial Economics or Masters' Degree in Engineering.

(ii) Experience of conducting / organizing/ guiding research and preparation of research papers on detailed project reports.

(iii) Familiarity with principles and policies of industrial licensing, foreign investment and collaboration, developments in international economics, specially relating to developing countries and matters, such as International Monetary Fund and General Agreement on Trade and Tariffs, Economic Communities, International Trade, etc.

(iv) Experience of techno-economic studies or detailed project reports.

[II] Joint Adviser (Scientific Research)

ESSENTIAL:

(i) Masters' Degree in Science or Degree in Engineering of a recognised University or equivalent.

(ii) 12 years' experience in research/ design/ development or in execution of research and development programmes/ projects in the field of science and technology.

DESIRABLE:

(i) Doctorate degree in any area of Science or Masters' Degree in Engineering.

(ii) Experience of conducting / organizing / guiding / planning research in multidisciplinary areas or in frontier areas/ newly emerging areas in science and technology.

(iii) Experience of collection, analysis and dissemination of scientific and technological information.

[III] Joint Adviser (Coal)

ESSENTIAL:

(i) Masters' Degree in Geology/ Applied Geology/ Energy Studies or Degree in Mining Engineering from a recognised University or equivalent.

(ii) 12 years' experience in research/ development planning/ execution of projects/ programmes in the field of coal or lignite or both.

DESIRABLE:

(i) Doctorate degree in Geology/ Applied Geology/ Energy Studies or Masters' Degree in Mining Engineering.

-/-

(ii) Knowledge of problems related to exploration, exploitation, utilisation, conservation, environmental aspects, technology, infrastructure, research and development, forecasting methods for coal and lignite sector.

(iii) Experience of techno-economic evaluation of feasibility studies/ detailed project reports.

[IV] Joint Adviser (Industries & Infrastructure Planning)

ESSENTIAL:

(i) Masters' Degree in Science / Economics/ Statistics or Degree in Engineering or Technology from a recognised University or equivalent.

(ii) 12 years' experience in research/ appraisal/ execution of development projects/ Programmes in the field of industrial and infrastructural planning, material and commodity balances.

DESIRABLE:

(i) Doctorate Degree in Science/ Economics/ Statistics or Masters' Degree in Technology/ Engineering.

(ii) Broad overview of changing structure of supply and demand of metals, manufactures, chemicals, power and transport in the country.

(iii) Knowledge of planning concepts and/or experience of long-term planning for industrial and infrastructure planning.

[V] Joint Adviser (Water Resources)

ESSENTIAL:

(i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent.

(ii) Twelve years' experience in research/ development/ planning/ monitoring and evaluation / execution in the field of water resources in all its diverse aspects like river valley projects, water resources development, command area development, flood control, management of water and waste water, drainage, water supply, sewerage/ low cost sanitation, solid-waste management, etc.

DESIRABLE:

(i) Master's Degree in Civil/ Hydraulic/ Water Resources Engineering/ Hydrology/ Public Health Engineering.

(ii) Experience of preparing critical reviews, appraisal reports, research reports, etc. as evidenced by publications.

7. PERIOD OF DEPUTATION/ CONTRACT:

Period of deputation/ contract including period of deputation/ contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The terms and conditions of deputation will be regularised according to the orders contained in the Govt. of India, DoPT's OM No.2/29/91-Estt.(P.II), dated 5th January, 1994 as amended from time to time and in the case of those coming on contract, the terms will be settled in consultation with the concerned authorities as per the instructions issued by DoPT.

****

[FORMAT OF VARIOUS CERTIFICATES REQUIRED TO BE ENCLOSED SEPARATELY ALONGWITH THE APPLICATION OF CANDIDATE WHO APPLIES FOR DEPUTATION (INCLUDING SHORT-TERM CONTRACT) BASIS]

INTEGRITY CERTIFICATE

After scrutinizing Annual Confidential Reports of Dr./Shri/Smt./Ms. ______________________, _____________ who has applied for the post of Joint Adviser (_______________________) in the Planning Commission on Transfer on Deputation basis, it is certified that his/ her integrity is beyond doubt.

[To be signed by an Officer of the rank of Deputy Secretary or above]
Name & Office Seal :
Date :

VIGILANCE CLEARANCE CERTIFICATE

Certified that no vigilance case or disciplinary proceedings or criminal proceeding is either pending or contemplated against Dr./Shri/Smt./Ms. ______________________, _____________ who has applied for the post of Joint Adviser (___________________) in the Planning Commission on Transfer on Deputation basis.

[Authorised signatory]

Name & Office Seal :
Date :

NO PENALTY CERTIFICATE

Certified that no minor/ major penalty has been imposed on Dr./Shri/Smt./Ms. ______________________, _____________ who has applied for the post of Joint Adviser (___________________) in the Planning Commission on Transfer on Deputation basis during the last ten years.

[Authorised signatory]

Name & Office Seal :
Date :

****

सं.ए-12025/11/2005-प्रशासन-1
भारत सरकार
योजना आयोग

योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर, 2005

सेवा में,
केन्द्र सरकार के सभी विभाग / राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन / विश्वविद्यालय ,

वि-ायः योजना आयोग में प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर 14300-400-18300 रुपये के वेतनमान में संयुक्त सलाहकार के कुछ पदों पर भर्ती ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना आयोग में (i) संयुक्त सलाहकार (औद्योगिक अर्थशास्त्र / प्रबंधन); (ii) संयुक्त सलाहकार (वैज्ञानिक अनुसंधान); (iii) संयुक्त सलाहकार (कोयला); (iv)संयुक्त सलाहकार (उद्योग एवं अवसंरचना आयोजना) और (v)संयुक्त सलाहकार (जल संसाधन) **(प्रत्येक एक)** के पद पर संयुक्त पद्धति अर्थात् प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता है। प्रत्येक पद हेतु चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा।

2. केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों के अधीन कार्यरत अधिकारियों के साथ-साथ योजना आयोग के विभागीय उप सलाहकार जो संलग्नक में प्रत्येक पद के लिए निर्दि-ट शर्तों को पूरा करते हैं, के नामों पर एक साथ विचार किया जाएगा। यदि किसी पद हेतु किसी विभागीय उप सलाहकार का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है तो उस पद को पदोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अन्य उम्मीदवारों के मामले में केवल प्रतिनियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा जो निर्धारित अवधि के लिए चार व-र्गों से अधिक नहीं होगा।

3. पद का वेतनमान पात्रता शर्तें जैसे अर्हता और अनुभव, प्रत्येक पद से संबद्ध कार्य और प्रतिनियुक्ति की अवधि आदि **संलग्नक** में दिए गए हैं ।

4. मंत्रालयों केन्द्र/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विभागों से अनुरोध है कि वे इन रिक्तियों को अपने नियंत्रण के अधीन सभी अधिकारियों तथा अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों के ध्यान में लाएं ।

5. ऐसे पात्र उम्मीदवारों, जिन्हें चयन की सूचना मिलने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन पत्र (पाठ्यक्रम ब्यौरे) संलग्न प्रपत्र (दो प्रतियों) में उम्मीदवार द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित तथा कार्यालयाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अधोहस्ताक्षरी को भेजें । आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी अग्रेनित करना अपेक्षित है ;-

(i) संवर्ग अनुमति / सुस्प-ट अनापत्ति ;
(ii) संबंधित उम्मीदवार की पिछले पांच व-र्गों की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर अथवा गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियाँ जो कि एक ऐसे अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई हों जो भारत सरकार के अवर सचिव से कम स्तर का ना हों;
(iii) किसी अधिकारी, जो भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से कम न हो, के द्वारा हस्ताक्षर किया गया सत्यनि-ठा प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप**) में ।

-/-

(iv) सतर्कता प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप में**) जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित हे और न ही अपेक्षित है, तथा

(v) विगत 10 व-र्ाें के दौरान उम्मीदवार पर लगाए गए बड़े/ छोटे दंडों की सूची, यदि कोई हो / दंड़ नहीं प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप में**)।

यह ध्यान रखा जाए की उपर्युक्त दस्तावेजों के बिना आवेदन पत्र पर विचार करना संभव नहीं होगा । यह भी सूचित किया जाता है कि प्रतिनियुक्ति आधार पर पदों की नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा दस्तावेजों सहित आत्मवृत्त का आकलन किया जाएगा ।

6. केवल उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदन पत्र अग्रेन्ति किए जाएं जिनके विरूद्ध सर्तकता का कोई मामला न हो । इस रिक्ति को शीघ्र ही रोजगार समाचार में प्रकाशित किया जा रहा है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 60 दिन तक होगी।

7. आवेदक यह सुनिश्चत करें कि उनका आवेदन निर्धारित प्रपत्र में हो और सभी प्रकार से पूर्ण हो । प्रपत्र में कोई भी स्थान रिक्त न हो । "लागू नहीं" अथवा "शून्य" सूचना का स्प-ट उल्लेख होना चाहिए। उपर्युक्त पैरा 5 में उल्लिखित सभी दस्तावेजों सहित उचित माध्यम द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अथवा उससे पहले प्राप्त हुए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों अथवा निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने पर अथवा अधूरे अथवा अग्रिम रूप में भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. इन रिक्तियों के ब्यौरे लिंक सर्कूलर्स के अंतर्गत योजना आयोग के वेबसाइट http://www.planningcommission.nic.in पर भी उपलब्ध हैं ।

भवदीय,

(के.के.छाबड़ा)
अवर सचिव , भारत सरकार
दूरभा-ा : 23096531

प्रतिलिपि प्रेन्तिः

1. सलाहकार (अवसंरचना)/सलाहकार (ऊर्जा)/सलाहकार (जल संसाधन)/ सलाहकार (उद्योग/ वी.एस.ई.), योजना आयोग
2. योजना आयोग के सभी उप सलाहकार जिन्होंने संलग्नक में दिए गए प्रत्येक पद हेतु निर्धारित पात्रता की तिथि के अनुसार ग्रेड में 5 व-र् की नियमित सेवा पूरी कर ली है/कर लेंगे तथा विशि-ट पदों हेतु आवश्यक अर्हता एवं अनुभव रखते हैं संलग्न प्रपत्र को पूरा कर अधोहस्ताक्षरी को दो प्रतियों में भेज सकते हैं।
3. संयुक्त सचिव (राज्य योजना एवं प्रशासन), योजना आयोग
4. नोटिस बोर्ड

(के.के.छाबड़ा)
अवर सचिव , भारत सरकार
दूरभा-ा : 23096531

<u>**सलग्नक**</u>

योजना आयोग में प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर (i) संयुक्त सलाहकार (औद्योगिक अर्थशास्त्र/प्रबंधन) (ii) संयुक्त सलाहकार (वैज्ञानिक अनुसंधान) (iii) संयुक्त सलाहकार (कोयला) (iv) संयुक्त सलाहकार (उद्योग व अवसंरचना योजना) और (v) संयुक्त सलाहकार (जल संसाधन) (प्रत्येक एक) के पद से संबंधित पात्रता की शर्तों आदि का विवरण।

रिक्तियों के ब्यौरे :

1. वेतनमान : 14300-400-18300 रुपये (प्रत्येक पद के लिए)

2. पद से संबंधित कार्य :

(i) संयुक्त सलाहकार (औद्योगिक अर्थशास्त्र/प्रबंधन)

- पदधारी आर्थिक और औद्योगिक नीतियों एवं कार्यक्रमों के सामान्य मुद्दों तथा उद्योग प्रभाग में समन्वय कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।
- सामान्य मुद्दों, मूल्यों, राजको-ीय एवं वित्तीय उगाही (लेवी), निर्यात, आयात एवं तुलनात्मक लाभ तथा अंतर्रा-ट्रीय व्यापार से संबंधित अन्य पहलुओं को कवर करते हुए नीतियों एवं कार्यक्रमों की जांच, प्रतिपादन एवं समीक्षा करना।
- औद्योगिक अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन शुरू करना।
- सामान्य आर्थिक और औद्योगिक मुद्दों के पहलुओं को कवर करने सहित विभिन्न मंत्रालय/राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का प्रतिपादन एवं उनकी जांच करना।
- औद्योगिक कार्यक्रमों जैसे विकास परि-ादों, लाइसेन्सिंग समितियां, परियोजना अनुमोदन बोर्ड, विदेशी निवेश बोर्ड, कैपिटल गुड्स समिति, एनआरआई समिति आदि से संबंधित शी-र्ास्त सरकारी एजेंसियों में भागीदारी।
- मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समितियां/मंत्रियों के समूह/सचिवों की समितियां आदि से संबंधित नोटों की जांच करना।
- विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों की आर्थिक विकास से संबंधित मामलों नीतियों कार्यक्रमों एवं सामान्य मुद्दों पर समन्वय बनाए रखना।
- आर्थिक विकास से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/राज्यों/उद्योग संघों/व्यक्तियों से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं जांच करना।
- वार्-िाक, पंच-व-र्ाीय एवं दीर्घावधिक भावी योजनाओं के प्रतिपादन में वरि-ठ अधिकारियों/आयोग को सहायता देना साथ ही नीतियों तथा ऐसे कार्यों में सहायता करना जो उन्हें समय-समय पर दिए जाएं जैसे संसद एवं इसकी समितियां, वीआईपी संदर्भ आदि।
- उप सलाहकारों एवं प्रभाग के अन्य अनुसंधान स्टाफ का पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन करना।

-/-

(ii) **संयुक्त सलाहकार (वैज्ञानिक अनुसंधान)**

- वार्निक, पंचव-र्षीय योजना कार्यक्रमों तथा विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान तथा सीएसआईआर, बायो-तकनीकी, सागर विकास, परमाणु ऊर्जा (आर एण्ड डी), अंतरिक्ष, फारेन्सिक विज्ञान एवं पुलिस वायरलेस, पर्यावरण मंत्रालय, बंजर भूमि विकास सहित वन तथा वन्य जीव विभागों के आवंटनों की जांच तथा मूल्यांकन करना।
- सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण कार्यक्रम।
- मुख्य समाजार्थिक मंत्रालयों/विभागों के विज्ञान व प्रौद्योगिकी घटक।
- योजना आयोग की तरफ से विदेशी तकनीकी सहायता कार्यक्रमों से संबंधित कार्यों का समन्वय।
- सिफारिशी उपाय करते हुए विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रयासों की प्रगति की समीक्षा।
- सतत् मूल्यांकन हेतु मुख्य परियोजनाओं/स्कीमों/चुने गए क्षेत्रों पर अनुवर्ती अध्ययन।
- उच्च स्तरीय विशे-ज्ञ समिति की बैठकों में भाग लेना।
- केबिनेट पेपर्स एवं अन्य गोपनीय मामलों की जांच।
- विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा संबंधित मामलों से जुड़े विभिन्न वि-ायों पर विश्ले-णात्मक एवं वैज्ञानिक पत्रों को तैयार करना।
- उपर्युक्त पर अधीनस्थ अधिकारियों का मार्गदर्शन करना।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सरकारी नीतियों से सुविज्ञ होना।

(iii) **संयुक्त सलाहकार (कोयला)**

- कोयला और लिग्नाइट क्षेत्रक के विकास हेतु योजना एवं कार्यक्रम तय करना तत्पश्चात् वार्निक एवं पंचव-र्षीय योजनाओं के प्रचालनात्मक मेकेनिज्म के माध्यम से रा-ट्रीय आर्थिक योजनाओं के साथ समाकलन करना।
- संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, संस्थाओं, एजेंसियों आदि के साथ सहयोग के माध्यम से कोयला और लिग्नाइट विकास योजनाओं का अन्य क्षेत्रकीय विकास के साथ समाकलन करना।
- इन क्षेत्रक से संबंधित योजना आयोग में प्राप्त विभिन्न पत्रों/टिप्पणियों/रिपोर्टों आदि पर निर्णय लेने व उनकी जांच करने में योजना आयोग को फीड बैक देने हेतु बैठकों समितियों, अंतः मंत्रालयी समूहों आदि में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करना।
- परियोजना/साध्यता रिपोर्ट का मूल्यांकन तथा कोयला क्षेत्रक के नि-पादन की मानीटरिंग का अन्य संबंधित क्षेत्रकीय विकास से समाकलन, उच्च स्तर पर विभिन्न समस्याओं के समाधान तथा विशे-ज्ञ तकनीकी पत्रों को तैयार करने के उद्देश्य से विकसित व समन्वित अध्ययन करना।
- कोयला एकक के कार्यों का पर्यवेक्षण।
- योजना आयोग द्वारा सौपी गई कोई ड्यूटी।

-/-

(iv) **संयुक्त सलाहकार (उद्योग एवं अवसंरचन योजना)**

- उद्योग और खनिज तथा ऊर्जा (कोयला, पेट्रोलियम व विद्युत) और परिवहन जैसे अवसंरचना के विकास हेतु मध्यावधिक व दीर्घावधिक योजनाएं तैयार करना।
- पंचव-र्ीय योजनाओं के प्रतिपादन के संबंध में गठित कार्य दलों एवं समितियों में भाग लेना।
- इनपुट-आऊट पुट मॉडल से उभरती हुई उपभोक्ता क्षेत्रकों की विकास दरों को ध्यान में रखते हुए कई महत्त्वपूर्ण सामग्रियों की वास्तविक ईकाइयों में मांग का आंकलन हेतु सामग्री शे-ा (मैटेरियल बैलेंस) तैयार करना।
- वास्तविक उपयोग मानक (अंतः उद्योग लिंकेज) को सामग्री शे-ा (मैटेरियल बैलेंस) तैयार करने हेतु अपेक्षित नवीनतम प्रौद्योगिकीय विकास के आधार पर सतत् अद्यतन करना।
- कपड़ा, आटोमोबाइल टायर, कागज और चीनी जैसे उपभोक्ता सामग्री की मांग के अनुमान संबंधी अध्ययन करना तथा तत्पश्चात् निवेश निर्णयों में सहायता हेतु मांग की दृ-टकोण से औद्योगिक परियोजनाओं का विश्ले-ाण।
- मांग, आउटपुट और क्षमता उपयोगिता के लक्ष्यों के आधार मुख्य उद्योगों में सृजित किए जाने वाली क्षमता का प्रक्षेपण।
- विभिन्न विनिर्माण उद्योगों के उत्पादन में विगत रूझानों का विश्ले-ाण करना।
- निजी उद्योग व गैर-उद्योग विनिर्माण क्षेत्रक में निवे-ा, आऊटपुट, पूंजी-आऊटपुट अनुपात आदि में रूझानों का विश्ले-ाण।
- औद्योगिक क्षेत्रक, औद्योगिक नीति, लाइसेंसिंग और ध्यान देने वाले (कंसन्ट्रेशन) क्षेत्रकों में ढांचागत परिवर्तनों से संबंधित अध्ययन।
- इनपुट-आउटपुट तालिका अद्यतन करने हेतु बड़ी संख्या में उद्योगों (500 से अधिक) के वार्-िाक उत्पादन संबंधी आंकड़े एकत्र करना।
- पर्यावरण आयोजना एवं प्रदू-ाण नियंत्रण संबंधी अध्ययन।
- औद्योगिक सामग्रियों का उत्पादन, आयात एवं निर्यात तथा भुगतान संतुलन पर पड़नेवाले उसके प्रभाव।
- नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्रयोग संबंधी दीर्घावधिक कार्यनीति का अध्ययन।

(v) **संयुक्त सलाहकार (जल संसाधन)**

- जल संसाधन, सिंचाई, कमान क्षेत्र विकास एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु राज्यों की वार्-िाक एवं पंचव-र्ीय योजना प्रस्तावों की जांच एवं समीक्षा।
- बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा जल संसाधन मंत्रालय एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों के प्रस्तावों की समीक्षा।

-/-

- (i) वार्निक योजना और पंचवर्नीय योजनाओं पर चर्चा (ii) सूखा कार्यक्रमों और शीर्न व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा के संबंध में केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य मंत्रालयों के साथ चर्चा, तत्पश्चात् रिपोर्ट तैयार करना।
- मुख्य एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति हेतु योजना आयोग, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग तथा अन्य समितियों द्वारा स्थापित विभिन्न समितियों में भाग लेना।
- सलाहकार (जल संसाधन) को सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के विकास से संबंधित सभी मामलों में सहायता करना।

3. पात्रता : (सभी पदों के लिए समान)

प्रतिनियुक्ति के लिए (अल्पावधि अनुबंध सहित)

नियमित आधार पर सदृश पद धारित; अथवा 12000-375-16500 रू0 के वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्न की नियमित सेवा अथवा केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसन्धान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों के अन्तर्गत समतुल्य पद धारित अधिकारी और नीचे मद संख्या 6 के सामने यथा-निर्दिन्ट प्रत्येक पद के लिए निर्धारित अर्हता/अनुभव रखते हों ।

प्रोन्नति हेतु

योजना आयोग के उपसलाहकार जिन्होंने ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर पांच वर्न की नियमित सेवा की हो और नीचे मद संख्या 6 के सामने यथा-निर्दिन्ट प्रत्येक पद के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

4. आयु सीमा :

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु (अल्पावधि-अनुबंध सहित) अधिकतम आयु सीमा नीचे मद संख्या 5 के सामने यथा निर्दिन्ट पात्रता निर्धारण की निर्णायक तारीख को 56 वर्न से अधिक नहीं होगी ।

5. पात्रता निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि :

(क) संयुक्त सलाहकार(औद्योगिक अर्थशास्त्र /प्रबन्धन) के पद के लिए, इस विज्ञापन के अनुसार निर्धारित तारीख आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी ।

(ख) संयुक्त सलाहकार(जल संसाधन) के पद के लिए यह 01.05.2006 होगी ।

(ग) संयुक्त सलाहकार(कोयला) के पद के लिए यह 8.9.2006 होगी ।

(घ) संयुक्त सलाहकार(वैज्ञानिक अनुसंधान) और संयुक्त सलाहकार(उद्योग और अवसंरचना आयोजना) के पदों के लिए यह 01.09.2006 होगी ।

-/-

6.अर्हताएं और अनुभव :

(प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग)

(I) संयुक्त सलाहकार(औद्योगिक अर्थव्यवस्था/प्रबन्धन)

अनिवार्य :

(i) विज्ञान/अर्थशास्त्र/वाणिज्य/गणित/सांख्यिकी/प्रचालन अनुसंधान/कारबार प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समतुल्य से इंजीनियरिंग में उपाधि ।

(ii) बड़ी परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन, मांग, आपूर्ति, मूल्य वृद्धि आदि को कवर करते हुए उनका तकनीकी आर्थिक विश्ले-ाण,इस प्रकार की परियोजनाओं की मानीटरिंग और मूल्यांकन, उनके लिए सिस्टम माडल विकसित करने सहित औद्योगिक अर्थव्यवस्था/प्रबन्धन में 12 व-र्ा का अनुभव

वांछनीय :

(i) औद्योगिक अर्थशास्त्र की संगत शाखा में डाक्टर की उपाधि अथवा इंजीनियरिंग में मास्टर की उपाधि ।

(ii) अनुसंधान आयोजित करने/संगठित करने / दिशानिर्देश देने का अनुभव और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों पर अनुसंधान पत्र तैयार करना ।

(iii) औद्योगिक लायसेन्स, विदेशी निवेश और सहयोग, अन्तर्रा-ट्रीय अर्थव्यवस्था, विशे-ा रूप से विकसित देशों और मामलों जैसे कि अन्तर्रा-ट्रीय मौद्रिक को-ा और व्यापार और शुल्क संबंधी सामान्य अनुबंध, आर्थिक समुदाय, अन्तर्रा-ट्रीय व्यापार, आदि के संबंध में सिद्धान्तों और नीतियों की जानकारी ।

(iv) तकनीकी आर्थिक अध्ययन अथवा विस्तृत परियोजना रिपोर्टो का अनुभव ।

(II) संयुक्त सलाहकार(वैज्ञानिक अनुसंधान)

अनिवार्य :

(i) विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समतुल्य से इन्जीनियरिंग में डिग्री ।

(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान/डिजाइन/विकास अथवा अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं के नि-पादन में 12 व-र्ा का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में डाक्टर की उपाधि अथवा इंजीनियरिंग में स्नात्तकोत्तर उपाधि ।

(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुवि-ायक क्षेत्रों अथवा अग्रणी क्षेत्रों/नये उभरते हुए क्षेत्रों में अनुसंधान आयोजित करने/संगठित करने/दिशा निर्देश देने/ आयोजना का अनुभव ।

(iii) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सूचना के संग्रहण, विश्ले-ाण और प्रसार का अनुभव ।

-/-

(III) संयुक्त सलाहकार (कोयला)

अनिवार्य :

(i) भूगर्भ शास्त्र/अनुप्रयुक्त भूगर्भ शास्त्र/ऊर्जा अध्ययन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा समतुल्य से खनन में उपाधि ।

(ii) कोयला अथवा लिग्नाइट अथवा दोनों के क्षेत्र में अनुसंधान/विकास आयोजना/ परियोजनाओं/कार्यक्रमों का नि-पादन ।

वांछनीय :

(i) भूगर्भ शास्त्र/अनुप्रयुक्त भूगर्भ शास्त्र/ऊर्जा अध्ययन अथवा खनन इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ii) कोयला और लिग्नाइट क्षेत्रक के संबंध में अन्वे-ाण, दोहन, उपयोग, संरक्षण, पर्यावरणीय पहलु, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, अनुसंधान और विकास पूर्व सूचना पद्धतियों से संबंधित समस्यायों का ज्ञान ।

(iii) संभाव्यता अध्ययनों/विस्तृत परियोजना रिपोर्टो के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन का अनुभव ।

(IV) संयुक्त सलाहकार(उद्योग और अवसंरचना आयोजना)

अनिवार्य :

(i) विज्ञान /अर्थशास्त्र/ सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय अथवा समतुल्य से इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा प्रौद्योगिकी में डिग्री ।

(ii) औद्योगिक और आधारिक संरचना आयोजना सामग्री और सामग्री शे-न (मैटीरियल एण्ड कोमोडिटी बैलेंसेंज़) के क्षेत्र में अनुसंधान/मूल्यांकन/विकास परियोजनाओं / कार्यक्रमों के नि-पादन का 12 व-र्ा का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) विज्ञान/अर्थशास्त्र/ सांख्यिकी में डाक्टर की उपाधि अथवा प्रौद्योगिकी/इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि ।

(ii) देश में धातुओं, उत्पादन, रसायन, विद्युत ओर परिवहन की बदलती हुए संरचना का विस्तृत पर्यावलोकन ।

(iii) आयोजना अवधारणाओं का ज्ञान और /अथवा औद्योगिक और आधारिक सरंचना आयोजना के संबंध में दीर्घावधि आयोजना का अनुभव ।

-/-

(IV) संयुक्त सलाहकार(जल संसाधन)

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समतुल्य से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री ।

(ii) जल संसाधनों के सभी विविध पहलुओं जैसे कि नदी घाटी परियोजनाएं, जल संसाधन विकास, कमान क्षेत्र विकास, बाढ़ नियन्त्रण जल और व्यर्थ जल का प्रबन्धन, अपवहन जल आपूर्ति, सीवरेज/कम लागत की सफाई व्यवस्था/ ठोस व्ययन प्रबन्धन आदि के क्षेत्र में अनुसंधान/ विकास/आयोजना/मानीटरिंग और मूल्यांकन/नि-पादन में 12 व-र् का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) सिविल/हाइड्रोलिक/जल संसाधन इंजीनियरिंग/हाइड्रोलोजी/पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि ।

(ii) प्रकाशनों द्वारा यथा-प्रभावित महत्वपूर्ण समीक्षाएं, मूल्यांकन रिपोर्ट, अनुसंधान रिपोर्ट आदि तैयार करने का अनुभव ।

7. प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि :

प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अनुबंध की अवधि है,साधारणतयः पांच व-र् से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें , भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं.2/ 29 / 91 -स्था. (पी.2) में निहित आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएंगी तथा अनुबंध पर आने वालों के मामलों में , शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित प्राधिकरणों के साथ परामर्श के बाद निर्धारित किया जाएगा ।

-/-

प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर आवेदन करने वाले आवेदकों के आवेदन के साथ अलग से संलग्न किए जाने वाले अपेक्षित विभिन्न प्रमाणपत्रों का प्रपत्र

सत्यनि-ठा प्रमाण-पत्र

वार्-िक गोपनीय रिपोर्टों की जांच करने के उपरान्त यह प्रमाणित किया जाता है कि डा0/श्री/श्रीमती/सुश्री....................................... जिन्होंने प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण आधार पर योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (....................................) के पद हेतु आवेदन किया है, की सत्यनि-ठा मे कोई संदेह नही है।

(उपसचिव अथवा इससे उच्च स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम व कार्यालय मोहरः
दिनांक

सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा0/श्री/श्रीमती/सुश्री....................................... जिन्होंने प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण आधार पर योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (....................................) के पद हेतु आवेदन किया है, के विरुद्ध कोई अनुशासनिक/आपराधिक कार्रवाई न तो लंबित है अथवा अवेक्षित है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम व कार्यालय मोहरः
दिनांकः

दण्ड नहीं प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा0/श्री/श्रीमती/सुश्री....................................... जिन्होंने प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण आधार पर योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (....................................) के पद हेतु आवेदन किया है, के विरुद्ध पिछले दस सालों के दौरान कोई लघु/मुख्य दण्ड नहीं लगाया गया है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम व कार्यालय मोहरः
दिनांकः

प्रपत्र / PROFORMA

आवेदित पद का नाम ______________________

Name of the post applied for ______________________

1. नाम और पता / Name and Address (In Block Letters)

2. जन्म तिथि / Date of birth (in Christian era)

3. केन्द्रीय / राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत सेवा-निवृत्ति की तारीख / Date of retirement under Central/ State Govt. Rules

4. शैक्षिक अर्हताएं / Educational Qualifications

5. क्या निर्धारित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं प्राप्त हैं (यदि कोई अर्हता निर्धारित अर्हता के समकक्ष मानी जारही है तो उस संबंध में प्राधिकरण का नाम बताएं) / Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same).

निर्धारित अर्हताएं / अनुभव / Qualifications / Experience required	अधिकारी द्वारा प्राप्त अर्हताएं / अनुभव /Qualifications / Experience possessed by the officer
अनिवार्य / Essential : 1. 2. 3. वांछनीय / Desirable: 1. 2. 3.	

6. कृपया यह स्प-ट बताएं कि ऊपर इंगित तथ्यों के आधार पर क्या आप उक्त पद के लिए निर्धारित आवश्यकताएँ पूरी करते हैं / Please State clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirement of the post.

7. सेवा संबंधी कालक्रमानूसार विवरण. आवश्यकता होने पर, हस्ताक्षरित अलग पृ-ठ संलग्न कर पूरा ब्यौरा दें / Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

कार्यालय / संस्थान / Office/ Institution	धारित पद / Post held	से / From	तक /To	वेतनमान और मूल वेतन / Scale of pay and basic pay	कार्य का स्वरूप / Nature of duties (in details)

-/-

8. वर्तमान सेवा का स्वरूप अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा स्थायीवत् अथवा स्थायी / Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or Quasi-permanent or Permanent.

9. यदि वर्तमान सेवा प्रतिनियुक्ति / संविदा आधार पर है तो कृपया बताएं कि / In case the present employment is held on deputation/ contract basis, please state -

a) प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि / The date of initial appointment
b) नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति / संविदा की अवधि / Period of appointment and deputation/ contract
c) मूल कार्यालय / संगठन का नाम / Name of the parent office/ organisation to which you belong

10. वर्तमान सेवा के बारे में अतिरिक्त विवरण / Additional details about present employment

कृपया नियोक्ता का नाम संबंधित कॉलम के सामने लिखे / Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column).

a) Central Govt.
b) State Govt.
c) Autonomous Organisation
d) Government Undertaking
e) Universities
f) Others

11. कृपया यह बताएं कि आप उसी कार्यालय में कार्यरत हैं और क्या आप परिपूरक ग्रेड में या परिपूरक के परिपूरक ग्रेड में हैं / Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.

12. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हाँ, तो संशोधन की तिथि तथा संशोधन पूर्व वेतनमान बताएं / Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale.

13. वर्तमान में प्राप्त हो रहीं कुल परिलब्धियाँ / Total emoluments per month now drawn.

14. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसके बल पर आप उक्त पद हेतु अपनी उपयुक्तता का दावा करते हैं / Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post.

-/-

15. कृपया यह बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) / आमेलन / पुनर्नियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं (केवल केन्द्र / राज्य सरकार के अधिकारी ही आमेलन के लिए पात्र होंगे. गैर-सरकारी संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थी केवल अल्पकालिक अनुबंध के लिए पात्र होंगे) / Please state whether you are applying for deputation (including short-term contract) / Absorption/ Re-employment basis. (Officers under Central/ State Governments are only eligible for "Absorption". Candidates of non-Government Organisations are eligible only for Short-Term Contract).

16. क्या अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के हैं /Whether belongs to SC/ ST.

17. अभ्युक्तियाँ (अभ्यर्थी (i)अनुसंधान प्रकाशनों और प्रतिवेदनों और विशे-ा परियोजनाओं; (ii) पुरस्कारों / छात्रवृत्तियों /सरकारी प्रोत्साहनों (iii) व्यावसायिक संस्थानों / संगठनों / समितियों से संबद्धता इत्यादि के बारे में विवरण दे सकते हैं) (टिप्पणी : यदि आवश्यकता हो तो अलग पृ-ठ संलग्न करें) Remarks [The candidates may indicate information with regard to (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards/ Scholarship/ Official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/ institutions/ societies and (iv) any other information.] (Note : Enclose a separate sheet if the space is insufficient)

मैंने रिक्ति परिपत्र / विज्ञापन ध्यान पूर्वक पढ़ा है और मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ कि मेरे आत्मवृत्त के समर्थन में मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों का, चयन करते समय, चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा / I have carefully gone through the vacancy circular/ advertisement and I am well aware that the Curriculum Vitae duly supported by documents submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :
पता :
Signature of the candidate:
Address:

दिनांक :
Date:

प्रतिहस्ताक्षरित :
(नियोक्ता का नाम व कार्यालय मोहर)
Counter signed:
(Employer with Seal)

***